

2
24

अधिकांश प्रार्थना पत्र 136 पर पेश कर निर्देश किया कि चक 20 HMM ज. सं. 2074-77 के खता सं. 325/162 में प्रार्थना का नाम सुमन देवी पत्नी विनोद कुमार वर्मा राजस्व रिकॉर्ड है जो सही नहीं है। प्रार्थना के समस्त बैंक पास बुक, पंजीकृत राशन कार्ड जन आवास कार्ड, आद्या कार्ड आदि में अनुसुद्धिया अंकित हैं। उक्त दोनों नाम एक ही महिला के हैं इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में सुमन देवी के स्थान पर अनुसुद्धिया उद्धृत किए जाने का निर्देश किया गया।

प्रार्थना पत्र वर्मा राजस्व का रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त की गई। दैनिक जयरी हल्का पटवारी रामप्रसा नारायण ने अंकित किया है कि प्रार्थना के सभी दस्तावेजों तथा आवास, जन आवास, राशन कार्ड आदि व बच्चों की श्रेणी तालिका में भी माता का नाम अनुसुद्धिया वर्मा है। जयरी बंयनामा प्रार्थना का नाम सुमन देवी राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया गया है। पुस्तिका में सुमन देवी व अनुसुद्धिया पत्नी विनोद कुमार एक ही महिला के नाम हैं।

पतावली का अवलोकन किया गया व दस्तावेजों व रिपोर्ट हल्का पटवारी का अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र मुताबिक तहसीलदार खीकाट कर आदेश है कि चक 20 HMM खता सं. 325/162 में वर्मा (वातेदार) सुमन देवी पत्नी विनोद कुमार की जगह अनुसुद्धिया पत्नी विनोद कुमार वर्मा कर राजस्व रिकॉर्ड उद्धृत किया जावे। तहसीलदार हनुमानगढ कोडरा की पाठना करावे। पतावली गैरत दे कर की जाका दायित्व करत की जाती है। नोटिस हुआ गया।

